

निस्तारण आदेश

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप 1/3800/2022/1-12(29), दिनांक 23.06.2022 द्वारा दिनांक 01.07.2022 की स्थिति पर आधारित उप वन क्षेत्राधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी। जारी वरिष्ठता सूची पर निम्नलिखित प्रत्यावेदन प्राप्त हुये है जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	प्रभाग/कार्यालय का नाम	उप वन क्षेत्राधिकारी का नाम	प्रत्यावेदन का कारण
1	प्र0व0सं0, वन पंचायत उत्तराखण्ड, देहरादून।	श्री दीपक कुमार मधवाल	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता क्रमांक 392 से 193 पर वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु।
2	चकराता वन प्रभाग, चकराता।	श्री यशपाल सिंह	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु।
3	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।	श्री सुनील सिंह रावत	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु।
4	कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।	श्री भगवत प्रसाद भदूला, श्री बाबू सिंह, श्री दिनेश कुकरेती	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु।
5	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।	श्री मनोज कुमार रावत	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि से वरिष्ठता निर्धारण करने हेतु।
6	भू0सं0 वन प्रभाग, नैनीताल।	श्री कुन्दन सिंह	बाद में पदोन्नत हुये कार्मिकों का वरिष्ठता में कार्मिक से वरिष्ठ क्रमांक में अंकित किया गया है।
7	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।	श्री अखिलेश रावत	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु।
8	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	श्री दीप चन्द्र जोशी	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु।
9	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर	श्री प्रमोद भट्ट	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करने हेतु।
10	राजाजी टाईगर रिजर्व	श्री गणेश बहुगुणा	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करने हेतु।
11	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग	श्री संतोष कुमार	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करने हेतु।
12	भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।	श्री ओम प्रकाश वर्मा	उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वरिष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित करते हुये वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि से निर्धारित करने हेतु।

उपरोक्त तालिका में अंकित सभी उप वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा **उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7** के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु प्रत्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किये गये है। प्रत्यावेदन कर्ताओं द्वारा वन दरोगाओं में पदोन्नत व्यक्तियों को वर्ष 2002 से 2010 तक नियुक्ति वन दरोगाओं से वरिष्ठ रखे जाने पर आपत्ति की गई है इस सम्बन्ध में उक्त उप वन क्षेत्राधिकारियों की वर्ष 2021 की स्थिति पर आधारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची पर भी उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के



नियम-7 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु प्रत्यावेदन दिये गये थे, जिसका निस्तारण इस कार्यालय के पत्रांक 242/1-13, दिनांक 04.08.2021 से किया गया था। पुनः प्रत्यावेदन कर्ताओं द्वारा वही आवेदन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-7 के अनुसार वरिष्ठता "तब निर्धारित की जायेगी, जब एक से अधिक पोषक संवर्ग हो"—जबकि उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर एक ही पोषक संवर्ग (वन दरोगा) से पदोन्नति की जाती है अर्थात् नियम-7 लागू नहीं होगा। उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति एक ही पोषक संवर्ग से होने के कारण उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-6 के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की गई है जिसमें स्पष्ट है कि "जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।" [स्पष्टीकरण— पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात की गई हों, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नत की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी। ]

अतः उपरोक्त के क्रम में उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-6 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(मनोज चन्द्रन)  
मुख्य वन संरक्षक,

संख्या 232 / 1-12 तददिनांकित।

प्रतिलिपि

1. मुख्य वन संरक्षक, निगरानी मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को अविलम्ब विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
2. पत्र में उल्लेखित समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त उप वन क्षेत्राधिकारी ( प्रत्यावेदन कर्ता), उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज चन्द्रन)  
मुख्य वन संरक्षक,

I.T.G.C  
K. B. G. S. K. S.  
B. C. S. S. S.